

## सूचना

### मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त (आई.टी.आई. / पॉलीटेक्निक / इंजी / कौशल विकास मिशन आदि) 21 से 40 वर्ष आयु को उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना
- रु 5.00 लाख के उद्यम हेतु 100% प्रतिशत ब्याज मुक्त, कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण।

आप सभी संस्थागत उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी छात्र छात्रा को उत्पाद/सेवा आदि से संबंधित कोई start-up/नया सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ करना है तो "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना" के अन्तर्गत रु 5.00 लाख तक का ऋण आपको उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण हेतु आपको कोई गारंटी नहीं देनी है। यह ऋण 100% ब्याज मुक्त है। जनपद महाराजगंज में 1000 अभ्यर्थी को यह ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः जो भी उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ उक्त योजना के अन्तर्गत कोई start up करना चाहते हैं, वह website <https://diup.msme.upsdc.gov.in> पर आवेदन करें। आवेदन करने के उपरांत उसका स्क्रीन शॉट संस्थागत T.P.O टीम के 1) श्री देश दीपक सिंह, प्रवक्ता - 8375839725 2) श्री सउदल हसन, कानू - 8763083576 के पास अपने इनरोलमेंट नम्बर, नाम ब्रांच के साथ उपलब्ध करायें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

दिनांक : 01/01/2025

कृते प्रधानाचार्य  
1.1.2025  
100 आईओ एए  
महाराजगंज

कार्यालय, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्योगिता विकास केन्द्र, महाराजगंज।

पत्रांक 4177-82 / जिउप्रोतथाउविके(मह0) / 2024-25, दिनांक 28-12-2024

- 1- उपायुक्त उद्योग एन0आर0एल0एम0, महाराजगंज।
- 2- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, धनेवा/धनेई/पुरैना महाराजगंज।
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई, महाराजगंज, माधोनगर, नौतनवा, निचलौल जनपद महाराजगंज।
- 4- निदेशक आर-सेटी, महाराजगंज।
- 5- जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन महाराजगंज।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज सरकार द्वारा जनपद में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें 21 से 40 वर्ष की आयु के आवेदक जिनकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 पास है तथा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान यथा कौशल विकास मिशन/आई0टी0आई/पॉलिटेक्निक/इन्जीनियरिंग कालेज, नर्सिंग कालेज व्यवसायिक कोर्स, आर-सेटी, स्टार्टअप, इत्यादि से प्रशिक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त तथा सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। जनपद महाराजगंज को कुल 1000 अभ्यर्थियों को ऋण सहायता दिये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/संस्थान से प्रशिक्षित युवाओं को योजना की वेबसाइट <https://diupmsme.upsdc.gov.in/> पर ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपायुक्त उद्योग  
जिला उद्योग प्रो0 तथा उ0वि0केन्द्र  
महाराजगंज।

पृ0प0

/तद् दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त उद्योग  
जिला उद्योग प्रो0 तथा उ0वि0केन्द्र  
महाराजगंज



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  
तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,  
उत्तर प्रदेश



# मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

सी०एम०-युवा  
विवरणिका



युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख,   
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग!

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,  
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ-226001  
ई-मेल आई०डी०-cmmyuva@gmail.com



## मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम0-युवा



- 295 बिलियन डॉलर की जी0एस0डी0वी0 के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करती है।
- प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या में 56 प्रतिशत युवा हैं, जो प्रदेश के कार्य बल का निर्माण करते हैं।
- इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) लागू किया गया है।
- इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 01 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना कराकर 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
- दस वर्षों में कुल 10 लाख उद्यम स्थापना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाना।

### 1. योजना की मुख्य बातें

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21-40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद/सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना।
- प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

#### प्रथम चरण-

- रु0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 04 वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, ओ0बी0सी0 को 12.5 प्रतिशत, एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांग को 10 प्रतिशत तथा अकांक्षात्मक जिलों-चित्रकूट, चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।
- परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षों तक सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति।
- परियोजना लागत में भूमि-भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

#### द्वितीय चरण-

- प्रथम चरण में लिये गये मूलधन/पेनल इंटररेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा।
- रु0 10.00 लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेगी, परन्तु रु0 7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 03 वर्षों तक दिया जायेगा।
- ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।
- सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज 03 वर्षों तक।



**मुख्यमंत्री  
युवा उद्यमी  
विकास अभियान  
सीएम0-युवा**



## 2. पात्रता की शर्तें

- आयु सीमा-21 से 40 वर्ष ।
- शैक्षणिक योग्यता-न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता ।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो ।

## 3. आवेदन प्रक्रिया

- एम0एस0एम0ई0 पोर्टल <https://msme.up.gov.in> पर ऑन-लाइन आवेदन ।
- जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोंपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेशण ।
- बैंको के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति/वितरण की व्यवस्था ।
- बैंको द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था ।

## 4. विविध

- डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के सापेक्ष रू0 01 प्रति ट्रांज़ैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा ।
- योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड/ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र ।
- तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैंरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा । जिले स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा ।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा योजना का संचालन/अनुश्रवण इत्यादि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से किया जायेगा ।



मुख्यमंत्री  
युवा उद्यमी  
विकास अभियान

सहायक बैंक



विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु आज ही अपने जिले के उपायुक्त उद्योग,  
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क करें।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,  
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ-226001  
ई-मेल आई0डी0-cmmyuva@gmail.com